LOK SABHA

Monday, May 6, 1968/Vaisakha 16, 1890 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr. Speaker *in the Chair*]

MEMBER SWORN

SHRI GUDADINNI BASAGONDAPPA KADAPPA (Bijapur—Mysore)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prohibition in Delhi

+

*1648. SHRI TENNETI VISWANATHAM :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Metropolition Council have recommended total prohibition in Delhi and have proposed to set up a Committee for the purpose ;

(b) whether the Central Government have also been requested to co-operate in the matter and whether the proposed Committee will include a representative of the Central Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SMT.) PHULRENU GUHA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . No request has so far been received from the Delhi Administration who are examining the recommendations of the Delhi Metropolitan Council.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Do I understand that the Government is looking into the matter and if so, may I know what is the present opinion of the Government, whether they are of one mind with regard to prohibition ? I would like them to have a common policy throughout India.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : So far as prohibition is concerned, the State Governments have to decide what they want to do.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : It is one of the Directive Principles and, I think, the All India Congress Party is also in favour of prohibition in parts at any rate ; they have got partial prohibition in several States. What I want to know is whether the Central Government has got any particular view in this matter.

SHRI ASOKA MEHTA : The Central Government continues to advise the States to adopt prohibition, but the Central Government in not is a position to compensate them for any loss that may be incurred.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस समय जितने पुराने कांग्रेसी हैं, सब मद्य निषेद के सिलसिले में जेल गये हुए हैं । आज जब हमारे संविधान में मद्य निषेध के लिये निर्देश है तो केन्द्रीय सरकार कह देती है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मसला है । मैं जानना चाहता हूं आज जब एक सूबे में मद्य निषेध होता है, तो लोग दूसरे सूबे से स्मगल करते हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार मद्य निषेध के लिये कोई सक्रिय कदम

उठाने जा रही है ताकि सारे हिन्दुस्तान में एक सा रहे ?

श्री अशोक मेहता : सक्रिय कदम उठाने में दो दिक्कतें आती हैं। एक मुखतलिफ राज्यों की इस के बारे में अलग अलग रायें हैं, दूसरे — इस में उनको पैसे का नुकसान होता है और कुछ ज्यादा पैसा एक्साइज के बारे में खर्च करना पड़ता है। इन दोनों पैसों के बारे में मांग होती रहती है, इस समय यूनीयन गवर्नमेंट की जो स्थिति है, हम वह पैसा नहीं दे सकते हैं।

SHRI S. KANDAPPAN : Referring to the advice given to the States by the Union and all that, I would like to know what is the policy of the Central Government with regard to areas and territories which they are directly administering, like Pondicherry, Delhi and other areas. If they do not implement the policy of prohibition in these areas, I do not think that they have the moral right or courage to tell the States that thay should implement prohibition in there respective States. Are the Central Government prepared to take the initiative and see that prohibition is implemented in the areas directly administered by the Centre ?

SHRI ASOKA MEHTA : The policy is being gradually followed. As I pointed out, there are fiinancial implications and it is not easy to overcome them.

SHRI RANE : Within what period do the Central Government propose to implement article 47 of the Constitution ?

SHRI ASOKA MEHTA : There are many articles of the Constitution and the Directive Principles about which it is very difficult to set any time limit.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : दिल्ली प्रशासन ने इस साल देशी शराब का जो ठेका बेचा है उस से पिछले साल 32 लाख रुपया मिला था, लेकिन इस साल 74 लाख में बेचा गया है तथा उनको साढ़े पांच लाख बोतलें बेचने का अधिकार दिया गया है। 74 लाख सरकार को देना होगा, 16 लाख 50 हजार रुपये इन बोतलों की कीमत होंगी, इस तरह से कुल कीमत 90 लाख रुपये होगी, जब कि 16 रु० प्रति बोतल के हिसाब से बेच कर उन को कुल 88 लाख रुपये मिलेंगे, इस का मतलब है कि बाकी रुपया और आपका मुनाफा वे अनुचित तरीके से कमायेंगे। जिसका परिणाम आज यह हो रहा है कि दिल्ली में जहरीली शराब बिक रही है और करीब 26 आदमी अब तक मर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस के लिये क्या करने जा रही है।

श्री अशोक मेहता : इस के बारे में जांच करने की जिम्मेदारी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की है।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : May I know whether the Delhi Metropolitan Council has sent any detailed blue-print of their scheme and whether they havc asked the Central Government to reimburse the loss and if so, what is the amount ?

DR (SMT.) PHULRENU GUHA : They have not sent any proposal as yet. According to our information, the recommendation of the Metropolitan Council is being, examined by the Delhi Administration.

श्री ओ० प्र० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, क्या पिछले अनुभव से यह सिद्ध नहीं हो गया है कि जिस किसी राज्य में मद्य निषेध होता है, वहां भ्रष्टाचार भी बढ़ता है तथा मद्य निषेध हो नहीं पाता और पीने वाले लोग पीते हैं। क्या सरकार ने समूचे देश में एक जैसी नीति अपनाने के लिये राज्य सरकारों को इन्वाइट कर के एक पालिसी फार्मुलेट करने का कभी यत्न किया है या करने का विचार है ?

श्री अशोक मेहता : इस के बारे में अलग अलग रायों का अलग अलग अनुभव रहा है। मसलन गुजरात में पूरा प्राहिबिशन है और वहां कोई भ्रष्टाचार बढ़ने की बात सामने नहीं आई। महाराष्ट्र में था लेकिन वहां का अनुभव दूसरा रहा और वहां की सरकार और असे-

म्बली ने दूसरा फैसला किया है। मद्रास में जब कांग्रेस हकूमत थी तब भी प्राहिबिशन था और अब डी० एम० के० की हुकूमत के बाद भी है। मैसूर ने जहां कांग्रेसी हुकूमत है, अपने नियमों में तबदीली की है। इस लिये अलग अलग राज्य का अलग अलग अनुभव रहा और वहां की सरकारों ने अलग अलग फैसले किये हैं। इस में हम कुछ दखल नहीं दे सकते हैं।

श्री ओ० प्र० त्यागी : एक पालिसी बनाने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अशोक मेहता : एक पालिसी कैसे हो सकती है। अलग अलग राज्य हैं और उन की अलग अलग असेम्बलियां हैं।

श्री क० ना० तिवारी : अभी मन्त्री महोदय ने बताया था कि इस में फाइनैन्शल इम्पलीकेशन्ज हैं, इस लिये बहुत से राज्य इस को इम्पलीमेंन्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मद्रास राज्य में चाहे कांग्रेस सरकार थी या डी० एम० के० की सरकार है, फाइनैन्शनल इम्पलीकेशन्ज के होते हुए भी प्राहिबिशन चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कांस्टीचूशन के निर्देश के अनुसार प्राहिबिशन को एन्फोर्स करने के लिये क्या सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है तथा इस में जो नुक्सान होगा, उसमें थोड़ी बहुत मदद करेगी ?

श्री अशोक मेहता : सवाल थोड़ी- बहुत मदद का नहीं है, इस में काफी बड़ी रकम लगेगी। मद्रास सरकार ने भी कुछ दिन पहले यह सवाल उठाया था कि अगर हम प्राहिबिशन को चालू रखें तो हमारा जो खर्च होता है उस में केन्द्रीय सरकार की तरफ से भरपाई होनी चाहिये। हर राज्य सरकार की तरफ से यही मांग आ रही है और इस समय केन्द्रीय सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, उन के अन्दर नया बोझा उठाने के हम काबिल नहीं हैं।

SHRI HEM BARUA : In view of the fact that many State Governments have refused to implement the policy of prohibition and also in view of the fact that in States where prohibition is there many people indulge in marketing spurious liquor, may I know if it is a fact that the Government is seriously considering scrapping of this monstrous fraud called prohibition ?

SHRI ASOKA MEHTA : I have repeatedly pointed out that, on this question, the States adopt different policies. Some States have partial prohibition, and some States have a kind of temperance movement. It is very difficult to say what precisely is the right policy for a particular State. In a country with a federal Constitution, where a particular subject has been assigned to the States, we may give advice, but we must abide by the decision of the States.

SHRI HEM BARUA : My question was directed to the Central Government, whether the Central Government were considering the scrapping of the monstrous frud called prohibition.

SHRI SHANTI LAL SHAH : As against the loss from excise on liquor, are Government aware that there is much more income from increased sales tax and entertainment tax, and if not, will Government make an enquiry into the loss as well as the income ?

SHRI ASOKA MEHTA : All these facts are known to various State Governments, and in the light of known facts, they come to their own conclusions. I am sure the hon. Member knows that the Maharashtra Government is aware of all these facts and still has come to certain conclusion.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार मद्य निषेध में विश्वास करती है और यदि करती है तो क्या शासकीय स्तर पर होने वाले स्वागत समारोहों में मद्य-निषेध का ध्यान रखा है ?

श्री अशोक मेहता : स्वागत समारोहों में मद्यपान नहीं होता है, मद्य नहीं दी जाती है।

श्री हेम बरुआ : अभी मन्त्री जी ने बताया कि राज्य सरकारें नहीं मानती हैं लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर तो केन्द्रीय सरकार का शासन है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो ढेबरचन्द कमेटी की रिपोर्ट है उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या फैसला लिया है और क्या कदम उठाने जा रही हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैंने यह नहीं कहा कि राज्य सरकारें हमारी बात नहीं मानती हैं बल्कि मैंने यह कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां चल रही हैं ।

जहां तक यूनियन टेरिटरीज का सवाल है, माननीय सदस्य बतायें, हिमाचल प्रदेश के लिये कोई खास रकम निश्चित होती होगी – हिमाचल प्रदेश की मदद के लिये अगर प्रोहिबिशन के लिये अलग से रखने के लिये तैयार हों तो मैं जरूर उसके बारे में गवर्नमेंट को प्रेस करूंगा लेकिन कई गवर्नमेंट्स की मांगें आती हैं, उन मांगों को केन्द्रीय सरकार कहां तक पूरा कर सकती है क्योंकि यह तो नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो साधन हैं वह अनलिमिटेड हैं ।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर शहरों की बात हो रही है लेकिन शराब ने गांव में लोगों का जितना मारल और करैक्टर खराब किया है उतना कहीं नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि आजादी मिलने के बाद गांव में शराब-नोशी बढ़ी है या घटी है ? और अगर बढ़ी है तो उसको रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने क्या किया है ?

श्री अशोक मेहता : इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, हो सकता है राज्य सरकारों के पास इसके आंकड़े हों । टेकचन्द कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो मालूमात हासिल करने थे वह हासिल किये गये । इसके बारे में मैंने कई बार जवाब दियाहै कि इस के बारे में नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होने की वजह से, जो मेम्बरान इसके बारे में तीव्र मतभेद रखते हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिये कि राज्य सरकारों पर अपना पूरा असर डालें । हम तो असर डालने के लिये पूरी कोशिश करते ही हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की राय अलग अलग है लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है, स्वयं केन्द्र के मंत्रियों की राय इस सम्बन्ध में एक दूसरे के विरोध में है । कई मन्त्री तो प्रोहिबिशन का पब्लिकली भी विरोध करते हैं और इसी प्रकार से राज्यों के मुख्य मन्त्री भी कोई बहाना लेकर इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं क्यों कि केन्द्रीय सरकार की भी कोई निश्चित नीति नहीं है । यह कहना भी गलत है कि अब शराब पीना कम हो गया है बल्कि यह दिन पर दिन ज्यादा होता जा रहा है । इल्लिसिट डिस्टिलेशन बहुत हो रहा है और गलत तरीके की शराब पीकर बहुत से लोग मर रहे हैं । तो मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह का कोई पेय निकालने जा रही है जिसमें बहुत कम अलकोहल हो, जिसको अगर लोग पियें भी तो भी ठीक रहे ? इस प्रकार की नीति सरकार बनाने जा रही है जिसका वह एन्फोर्समेंन्ट भी करे ताकि देश को सम्बन्ध में एक निश्चित दिशा मिल सके ?

श्री अशोक मेहता : बहुत सी बातें जो माननीय सदस्य ने कहीं, वह तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं । आपने कहा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है । इल्लिसिट डिस्टिलेशन तभी होता है जब कि प्रोहिबिशन होता है ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जब प्रोहिबिशन नहीं होता है तब भी इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है ।

SHRI HEM BARUA : Shri Morarji Desai is prompting the hon. Minister who is answering.

MR. SPEAKER : They can advise each other.

श्री अशोक मेहता : टेक्स ज्यादा होने की वजह से उस हालत में भी इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है । कम अल्कोहल वाली ब्रिक्स बनाई जायं, इसके बारे में राज्य सरकारें ही कर सकती हैं । जहां तक यूनिफार्म पालिसी की बात है, सारे राज्यों को एक चीज के लिये राजी करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप अपनी नीति तो बतलाइये ।

श्री अशोक मेहता : हमारी नीति साफ है । हम डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स पर अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं । लेकिन अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स और असेम्बलीज की नीति अलग अलग है और उनके अनुभव भी अलग अलग हैं । कहीं पर प्रोहिबिशन होता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहीं अगर नहीं होता है तो लोग उसके हक में हो जाते हैं । इस पर जनमत तैयार करने की आवश्यकता है ।

आयकर का निर्धारण

*1650 **श्री कंवर लाल गुप्त** :

श्री टी० पी० शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में आय-कर के ऐसे कितने मामलों में पुनः निर्धारण का काम किया गया जिनमें पहली बार जो कर का निर्धारण किया गया था वह दो लाख रुपये से अधिक था, और

(ख) ऐसे करदाताओं के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने के लिये उन सभी फाइलों की जांच करनी होगी जिनमें फिर से कर-निर्धारण की कार्यवाही की गयी थी । इसमें बहुत सारा समय तथा श्रम लगेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि मन्त्री महोदय का यह कहना गलत है कि इसमें टाइम और लेबर की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े केसेज होते हैं उनकी लिस्ट कमिश्नर के पास होती है । मन्त्री महोदय उसको सभा पटल पर नहीं रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस इश्यु को इवेड करना चाहते हैं लेकिन कमिश्नर के पास लिस्ट रहती है, उसकी मरजी के बगैर इतने बड़े बड़े केसेज रीओपेन नहीं हो सकते हैं ।

अब मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो बड़े बड़े केसेज हैं जिनकी रकम दो लाख या एक लाख से ऊपर है इनमें ही सबसे ज्यादा इवेजन होता है क्योंकि इन लोगों के पास टैक्निकल नालेज होती है, इनके पास एक्सपर्टस् और एकाउन्टेन्ट्स होते हैं और बड़े बड़े पब्लिक रिलेशन्स आफिसर होते हैं । उनका ठीक असेस्मेन्ट हो, उनके ऊपर कन्सेन्ट्रेशन हो सके, उसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, सदन से कोई भी सूचना छिपाने की मंशा कभी भी सरकार की नहीं हो सकती है । इसमें जो इस वक्त की वस्तुस्थिति है वह मैंने सदन के सामने रखी । वैसे मेरे पास, कुल जितने असेस्मेन्ट रिओपैन हुये सन् 64-65 और 65-66 में उसके आंकड़े हैं और वह इस प्रकार हैं । सन् 64-65 में 40,502 और 65-66 में 52,140 । अब इसका, आमदनी के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण करने में बड़ा समय लगेगा ।

अब जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि ऊंची इनकम के जो केसेज हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाये, तो उसके लिये सेन्ट्रल सर्किल सब जगह क्रिएट किये जाते हैं ।